न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 153/2013
दायर दिनांक – 05/04/2013
निर्णय दिनांक – 24/05/2018

अनवान

1. तेजसिंह पिता कालूसिंह राजपूत निवासी लडपचा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिय भूमि धारक तहसीलदार रेलमगरा
3. ग्राम पंचायत गवारडी जरिये सरपंच ग्राम पचांयत गवारडी

प्रतिवादी

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि ग्राम लडपचा में वादी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजी संख्या 1693 वर्तमान अभिलेख के अनुसार क्षेत्रफल 01–12 बीघा जमाबंदी में अंकित चला आ रहा है। आराजी संख्या 1693 की गत भू माप की आराजी संख्या 545 थी। जिसका क्षेत्रफल 01–11 बीघा था, प्रमाण में महकमा बंदोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर की बन्दोबस्त की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है जिसमें 01–11 बीघा अंकित है। गत भूमाप का क्षेत्रफल 1–11 बीघा का वर्तमान माप के अनुसार क्षेत्रफल 02–00 बीघा अंकन होना चाहिए था क्योंकि गत भू माप के 01–00 बीघा क्षेत्रफल में 00–06 बीघा वर्तमान माप का क्षेत्रफल अधिक बनता है जिससे गत भू माप का क्षेत्रफल 1–11 बीघा का क्षेत्रफल आराजी संख्या 1693 मे 02–00 बीघा अंकित होना चाहिये था। सेटलमेन्ट के समय खसरा पत्रक में गत भू माप के क्षेत्रफल का दर्शाया ही नही गया। जबकि आराजी संख्या 545 का क्षेत्रफल 1–11 बीघा था। पेमाइश के दौरान वादी की उक्त आराजी का जमाबंदी में क्षेत्रफल व नक्शाट्रेस मे भी उपरोक्त अनुसार अंकन कमी कर दी गई जबकि सेटलमेन्ट को इस प्रकार का परिर्वतन करने का कोई

21

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

क्षेत्राधिकार नही था। सेटलमेन्ट विभाग को गत भू माप के क्षैत्रफल व नक्शाट्रेस के अनुसार ही नवीन अंकन को दौहराना चाहिये था। सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा अपने क्षैत्राधिकार के परे जाकर वादी की आराजी संख्या 545 के क्षेत्रफल मे 00–08 बीघा भूमि की कमी जाकर जमांबदी मे क्षेत्रफल 1–12 बीघा ही अंकन किया गया एवं नक्शाट्रेस में भी उपरोक्त अनुसार अंकन कम कर दिया गया। सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा वादी की उक्त आराजी का शेष क्षैत्रफल 00–08 बीघा ग्राम लडपचा के आबादी क्षेत्र में मिला दिया गया एवं वादी के आराजी मे क्षेत्रफल 00–08 बीघा की कमी कर दी गई एंव इसी अनुसार नक्शाट्रेस मे भी कमी कर दी गई। दिनांक 03/08/2012 को भूमि धारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा ने खसरा नम्बर 1692 की उत्तरी पश्चिमी मेड के सहारे सी.सी. रोड होना बताया गया है वे तथ्य गलत वर्णित किये गये। वादी की खातेदारी व आधिपत्य की आराजी संख्या 1692 न होकर 1693 है । आराजी संख्या 1692 आराजी संख्या 1693 के दक्षिण ने स्थित है। अभिलख से हटकर आराजीं संख्या 1692 का खातेदार वादी को भूमि धारक ने मिथ्या रूपेण दर्शाया गया है तथा किसी भी वाद की स्थिति में लेण्ड रिंकार्ड अधिकारी को ही अधिकार है , भूमि धारक को कोई अधिकार नही है। धारा 111 भू राजस्व अधिनियम के समानान्तर क्षैत्राधिकार सहमति के आधार पर सीमा जानकारी का क्षैत्राधिकार प्रथम 30 दिन में ग्राम पंचात हो होता है एवं उसके पश्चात् भूमि धारक को होता है। किन्तू जहां विवाद होता है वहा सीमा जानकारी अथवा पत्थरगढी का अधिकार लैण्ड रिकार्ड आफिसर हो होता है। इसके उपरान्त भी आराजी संख्या 1692 की सीमा जानकारी कर वादी के खातेदारी की सीमा जानकारी करना मिथ्या अंकन किया गया। आराजी संख्या 1692 को आबादी से सटमा बताकर मिथ्या मौका पर्चा बनाया गया। न तो आराजी संख्या 1692 का खातेदार मौके पर उपस्थित हुआ। और न ही उसके हस्ताक्षर कराये गये। बल्कि वादी के हस्ताखर कराये गये एवं सीमा जानकारी किसी अन्य खातेदारी की भूमि की करा दि गई। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 3/8/2012 के पर्चे को मौके का आधाार बनाकर वादी को बेदखली का सुचना पत्र दिया गया जो ग्राम पंचायत का दिया गया आदेश अवैध, क्षैत्राधिकार विहीन, विधी विरूद्ध है। इस पंचायत के द्वारा अपने सुचनापत्र में यह वर्णित नही किया गया कि ग्राम पंचायत की किस आराजी व कितने क्षेत्रफल पर वादी का आधिपत्य हैं। वस्तु स्थिति मे ग्राम पंचायत ने वादी के

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

खातेदारी, व आधिपत्य की आराजी मे वादी की बिना सहमति, स्वीकृति के सी.सी रोड क रूप मे अतिक्रमण कर लिया गया जिससे वादी ने ग्राम पंचायत को अवैध निर्माण को हटाने की बात कही गई । इस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध वादी का अवैध कब्जा बताते हुए हटाने के लिए सुचना पत्र दिया गया। वादी ने प्रतिवादीगण को पंजीकृत सुचना पत्र अपने अधिवक्ता के जरिये विहित अवधि के भीतर दिया गया कि गत सेटलमेन्ट के नक्शाट्रेस एंव जमाबंदी के अनुसार वादी की आराजी के क्षेत्रफल की भूमि मे जो सी.सी रोड निर्माण कर दिया गया उसे ग्राम पंचायत अपने खर्चे से हटावे अन्यथा सुचनापत्र मे विहित अवधि के अवसान क पश्चात विधि अनुसार कार्यवाही करने का दिया गया। इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण के द्वारा न तो सुचना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पालना ही की गई और नही सुचना पत्र का जवाब ही दिया गया। जबकि वादी की और से सम्बन्धित दस्तावेज की फोटो प्रतियां सुचना पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी गई। प्रतिवादी भूमि धारक ने आराजी संख्या 1692 की सीमा जानकारी करते हुए अवैध रूप से 5 गुणा 15 फीट अतिक्रमण बता दिया गया जो कि अवैध व अनुचित बताया गया क्योंकि प्रतिवादी भूमि धारक के द्वारा न तो आबादी की सीमा जानकारी की गई एंव न ही वादी की आराजी संख्या 1693 की सीमा जानकारी ही की गई। ऐसी स्थिति मे बिना किसी उचित आधार के आबादी भूमि मे वादी का निर्माण बात दिया गया व प्रतिवादी को संलग्न दस्तावेज के आधार पर विधि अनुसार नाप कर विधी सम्मत कार्यवाही करने के लिए व राजस्व अभिलेख जमाबंदी व नक्शाट्रेस मे गत भू माप के नाप के अनुसार सही अंकन राजस्व अभिलेख में करने बाबत् पंजीकृत सुचना पत्र दिया गया किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा न तो सही अंकन किया गया एंव न ही किसी प्रकार की जवाबदेही ही की गई। वादी का वादपत्र प्रस्तुत करने का हेतू दिनांक 03/08/2012 को वादी के पुत्रों को प्रतिवादी ग्राम पंचायत के द्वारा अवैध रूप से सुचना पत्र दिया गया एवं प्रतिवादी भूमि धारक ने दिनांक 03/08/2012 को सीमा जानकारी का मिथ्या पर्चा मौका निर्मित किया गया एंव सुचना पत्र मे विहीत अवधि 2 माह का समय समाप्त होने के उपरान्त भी वाद हेतू विरूद्ध प्रतिवादीगण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। जिला कलेक्टर राज्य सरकार के प्रतिनिध होने से व जमांबंदी में त्रुटिपूर्ण अंकन को शुद्ध अंकन कराने के लिए आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया है। ग्राम पंचायत को धारा 109 राजस्थान काश्तकारी आधिनियम के

कलक्टर
अधिकारी)

तहत सुचना पत्र दिया गया कि वादी के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि मे अतिक्रमण नही करने एवं सी.सी सडक के रूप में किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिऐ सुचना पत्र दिया गया किन्तु प्रतिवादी ग्राम पंचायत ने न तो अवैध कब्जे के रूप मे सी.सी. सडक के रूप अवैध अतिक्रमण ही हटाया और न ही सुचनापत्र का जवाब ही दिया गया। अतः प्रार्थना है कि वादी की भूमि आराजी सं 1693 जो कि ग्राम लडपचा में स्थित है, के वर्तमान अभिलेख मे शुद्ध अंकन के रूप मे क्षेत्रफल 2 बीघा अंकन फरमाया जावे तथा इसी अनुरूप नक्शा ट्रेस मे भी सही इन्द्राज कराये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावे। प्रतिवादी ग्राम पंचायत के द्वारा वादी की भूमि मे अवैध रूप से सी.सी. सडक बनाकर किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने का आदेश फरमाया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमायी जावे कि वादी की आराजी संख्या 1693 क्षेत्रफल 2 बीधा जमाबंदी एंव नक्शा ट्रेस के अनुसार क्षेत्रफल मे वादी के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित नही करे। न ही अतिक्रमण करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि पद संख्या 1 ग्राम लडपचा के आराजी संख्या 1693 रकबा 1–12 बीघा वादी की खातेदारी है अतः पद स्वीकार है। पद संख्या 2 वादी स्वय साबित करे। पद संख्या 3 पद अस्वीकार है वादी स्वयं साबित करे। पद संख्या 4 रिपोर्ट पटवारी अनुसार जो सलग्न है उक्त 0–08 बिस्वा आराजी पर वर्तमान मे पंचायत द्वारा सी.सी. रोड बना दी गयी है अतः आशिंक स्वीकार है। पद संख्या 5 पद अस्वीकार है। पद संख्या 6 वादी स्वयं साबित करे। पद संख्या 7 वादी स्वयं साबित करे। पद संख्या 8 अस्वीकार है। पद संख्या 9 अस्वीकार है। पद संख्या 10 औपचारिक है जवाब अपेक्षित नही है। पद संख्या 11 अस्वीकार है। पद संख्या 12, 13 वाद पत्र की औपचारिक भाग है जवाब देना अपेक्षित नही है। वाद पत्र काबिज खारिज है। तथा प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से प्रतिवादी संख्या 03 का जवाब का अवसर बन्द किया गया।

21/6

...कलंदर
(...खण्ड अधिकारी)

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. आया वादी गत भूमाप की आराजी संख्या 545 क्षेत्रफल 1–11 बिघा की नवीन आराजी संख्या 1693 का क्षेत्रफल 1–12 बिघा के बजाय 2 बीघा खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने की अधिकारी है। जिम्मे वादी
2. आया गत भूमाप के नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे मे भी अंकन कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी
3. आया सेटलमेंट विभाग को गत भूमाप के अनुसार वर्तमान माप दोहराना था। परिवर्तन करने का कोई अधिकारी नही है। जिम्मे वादी
4. आया कमी क्षेत्रफल ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र मे मिला दिया गया जिसे कमी की जाकर पुनः वादी के खाते में अंकन की जावे। जिम्मे वादी
5. आया ग्राम पंचायत द्वारा वादी की भूमि पर सी.सी. सडक अवैध रूप से निर्माण कर दिया। जिसका कब्जा पुनः वादी प्राप्त करने का अधिकार है। जिम्मे वादी

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 तेजसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पूर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य सूचना पत्र की प्रति प्रदर्श–01, डाक रसीद प्रदर्श–02, जमाबन्दी संवत् 2012–15 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03 (किन्तु पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया), भू प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक प्रदर्श–04, ग्राम पंचायत गवारडी का सूचना पत्र प्रदर्श–05, मौका पर्चा मौजा लडपचा तहसीलदार रेलमगरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–06, महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड की जमाबन्दी प्रदर्श–07, गत भू माप की जमाबन्दी प्रदर्श–08, गत भू माप का नक्शा ट्रेस प्रदर्श–09, आंशिक नक्शा ट्रेस 1964 प्रदर्श–10 (किन्तु पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया) के प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से प्रतिवादी के साक्ष्य का अवसर बन्द किया गया।

21/07

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पत्रावली बहस में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत गवारडी पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए।

पक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. तनकी संख्या 01 जिम्में वादी होकर वादी ने अपनी तनकी के समर्थन में में गवाह पीडब्ल्यू–01 तेजसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पूर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य सूचना पत्र की प्रति प्रदर्श–01, डाक रसीद प्रदर्श–02, जमाबन्दी संवत् 2012–15 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03 (किन्तु पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया), भू प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक प्रदर्श–04, ग्राम पंचायत गवारडी का सूचना पत्र प्रदर्श–05, मौका पर्चा मौजा लडपचा तहसीलदार रेलमगरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–06, महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड की जमाबन्दी प्रदर्श–07, गत भू माप की जमाबन्दी प्रदर्श–08, गत भू माप का नक्शा ट्रेस प्रदर्श–09, आंशिक नक्शा ट्रेस 1964 प्रदर्श–10 (किन्तु पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया) के प्रस्तुत किया। पत्रावली में संलग्न गत भू माप की जमाबन्दी प्रदर्श–08 एवं भू प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक प्रदर्श–04 का अवलोकन करने पर उक्त दस्तावेजों में वादग्रस्त भूमि का विवरण अंकन नही है। जिससे वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपनी तनकी को सिद्व करने में असफल रहने से उक्त तनकी वादी विरूद्व निर्णित की जाती है।
2. तनकी संख्या 02 जिम्मे वादी होकर तनकी संख्या 01 के अनुसार वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपनी तनकी को सिद्व करने में असफल रहने से उक्त तनकी वादी विरूद्व निर्णित की जाती है।
3. तनकी संख्या 03 जिम्मे वादी होकर तनकी संख्या 01 व 02 के अनुसार वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपनी तनकी को सिद्व करने में असफल रहने से उक्त तनकी वादी विरूद्व निर्णित की जाती है।

2/07

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

4. तनकी संख्या 04 जिम्मे वादी होकर तनकी संख्या 01, 02 व 03 के अनुसार वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपनी तनकी को सिद्व करने में असफल रहने से उक्त तनकी वादी विरूद्व निर्णित की जाती है।

5. तनकी संख्या 05 जिम्मे वादी होकर पैरोकार सडक के जवाब के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी. रोड आबादी भूमि पर ही बनायी जाना अंकित किया है जिससे भी वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपनी तनकी को सिद्व करने में असफल रहने से उक्त तनकी वादी विरूद्व निर्णित की जाती है।

अतः तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को सिद्व करने में असफल रहने से वादी का वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प नदबारडी पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 153/13 वाद

वादीपक्ष :–

अनवान

(1) तेज सिंह पिता कालु सिंह राजपूत नि० लडपचायत रे

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

(1) राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय राजसमंद

(2) राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

(3) ग्राम पंचायत गवारी जरिये सरपंच ग्रा.प. गवारी

दावा :– इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से :– अधिवक्ता श्री चावण्ड सिंह शक्तावत

प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता श्री शांति लाल जाट, पैरोकार सरकार

में इस आशय में दिनांक 24.5.2018 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती है कि वादी का वाद बाबत इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करने मे असफल रहने से वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है।

आज दिनांक 24/5/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय कि मोहर से जारी कि गयी।

(शक्ति सिंह भाटी) RAS

सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रेलमगरा *